डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश
DR. A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY
सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांकः ए0के0टी0यू0/कुस0का0/स्था0/2024/ 4357 **दिनांकः** 14 अक्टूबर, 2024

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य
विश्वविद्यालय से संबद्व समस्त संस्थान।

विषयः 07 दिसम्बर, 2024 को सेवानिवृत्त सैनिको, उनके परिवारों तथा सेवारत सैनिकों के कल्याण के लिए धन एकत्रित करने हेतु झण्डा दिवश मनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-I/760291/2024 दिनांक 03.10.2024 (प्रतिसंलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र में उल्लिखित सैनिक कल्याण अनुभाग-1 के पत्र सं0-867/48-2024-22-5(29)/75 दिनांक 24.09.2024 पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(रीना सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः

1. अनुभाग अधिकारी, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. स्टाफ आफिसर,ए0के0टी0यू0, लखनऊ को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।

(रीना सिंह)
कुलसचिव

संख्या-I/760291/2024

प्रेषक,

मानिक चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर।
2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ।
3. संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, लखनऊ।
4. कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
5. कुलसचिव, एम0एम0एम0टी0यू0, गोरखपुर।
6. कुलसचिव, एच0बी0टी0यू0, कानपुर।
7. निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बांदा/ आजमगढ़/सोनभद्र/कन्नौज/मैनपुरी/बिजनौर/प्रतापगढ़/ अम्बेडकरनगर/कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर/ उ0प्र0 वस्त्र प्रोद्यौगिकी संस्थान, कानपुर/बुन्देलखण्ड अभि0 एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झांसी।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 03-10-2024

विषय- 07 दिसम्बर,2024 को सेवानिवृत्त सैनिकों, उनके परिवारों तथा सेवारत सैनिकों के कल्याण के लिए धन एकत्रित करने हेतु झण्डा दिवस मनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सैनिक कलयाण अनुभाग के पत्र संख्या-867/48-2024-22- 5(29)/75, दिनांक 24-09-2024 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
(मानिक चन्द्र)
अनु सचिव।

Signed by
Manik Chandra
Date: 03-10-2024 14:26:15

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 को सैनिक कलयाण अनुभाग के पत्र संख्या-867/48-2024-22-5(29)/75, दिनांक 24-09-2024 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,
(मानिक चन्द्र)
अनु सचिव।

DR(D)
Reg. 3/10/24
1387 04/10/24
AR(E&H)
04/10/2024
05/10
2907
6257

संख्या-867 /48-2024-22-5(29)/75

Comp. No.: 1739663

File No.:48-1099/21/2023

संख्या..............प्रमुख सचिव/प्रा०शि०/व्या०शि०कौ०वि०/2024

प्रेषक,

डा0 हरिओम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

विशेष (अ/डी/प्रा/वि.)

26/09/24

J.S.
26/09/24
(महेश चन्द्र)
निजी सचिव, श्रेणी-2
विशेष सचिव
प्राविधिक शिक्षा विभाग
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

2- समस्त जिला तथा सत्र न्यायाधीश,
उत्तर प्रदेश

सैनिक कल्याण अनुभाग लखनऊ · दिनाँक: 24 सितम्बर 2024

विषय: 07 दिसम्बर, 2024 को सेवानिवृत्त सैनिकों, उनके परिवारों तथा सेवारत सैनिको के कल्याण के लिए धन एकत्रित करने हेतु झण्डा दिवस मनाये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी सशस्त्र सेना झण्डा दिवस दिनाँक 07 दिसम्बर, 2024 को मनाया जायेगा। झण्डा दिवस भारतीय सशस्त्र सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के कल्याण हेतु जनता से धन संग्रह के प्रति समर्पित वर्ष, 1949 से 07 दिसम्बर को भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झण्डा दिवस पर हुए धन संग्रह का उद्देश्य युद्ध के समय हुई जनहानि में सहयोग, सेना में कार्यरत सैनिकों एवं सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण हेतु किया जाता है।

2. प्रतीक झण्डा स्टिकर्स एवं मोटर गाड़ियों के झण्डा स्टिकर्स की बिक्री केवल एक दिन 07 दिसम्बर, 2024 के लिए सीमित होगी, किन्तु झण्डा दिवस निधि के लिए प्रदर्शनी तथा अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन तथा दान एकत्र करने का कार्य पूरे वर्ष किया जा सकता है।

3. निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तर प्रदेश द्वारा 07 दिसम्बर, 2024 से 30 नवम्बर, 2025 तक की अवधि में प्राप्त धनराशि झण्डा दिवस के संग्रह में सम्मिलित की जायेगी। प्रतीक झण्डा स्टिकर्स एवं मोटर गाड़ियों के झण्डा स्टिकर्स की बिक्री एवं सहायतार्थ आयोजनों से एकत्र की गई धनराशि में से केन्द्रीय सैनिक बोर्ड का अंश उनके पत्र संख्या-135(4)/2002/के एस बी/डी, दिनाँक 16 अगस्त 2002 में दिये गये निर्देशानुसार निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तर प्रदेश द्वारा सचिव, झण्डा दिवस निधि, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली को विलम्बतम् 30 जून, 2025 तक भेजा जाना है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया संग्रहीत धनराशि निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तर प्रदेश, लखनऊ को दिनाँक 30.04.2025 तक अवश्य भेज दिया जाय, जिससे वह कुल धन समय से संग्रह कर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड का अंश निर्धारित तिथि तक भेज सके। जिलाधिकारी तथा अन्य अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को कोई धनराशि सीधे न भेजी जाय। अप्रयुक्त प्रतीक झण्डा एवं मोटर गाड़ियों के झण्डा स्टीकर्स को नष्ट नहीं किया जायेगा। अप्रयुक्त प्रतीक झण्डा स्टिकर्स एवं मोटर गाड़ियों के झण्डा स्टीकर्स को अगले वर्ष के प्रयोग हेतु रखा जायेगा। इस प्रकार के अप्रयुक्त प्रतीक झण्डा स्टिकर्स एवं मोटर गाड़ियों के झण्डा स्टीकर्स की गणना निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तर प्रदेश, लखनऊ को विलम्बतम 31 मार्च, 2025 तक अवश्य भेज दिया जाय। निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तर प्रदेश को संग्रहीत धन केवल बैंक ड्राफ्ट/ एन0ई0एफ0टी0 / आर0 टी0 जी0 एस0 के द्वारा ही भेजा जाय। धन चेक से न भेजा जाय, क्योंकि

SO-3
(V2)
26/9/24

श्रीमती ओ०
26/9/2024

चेक में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर बैंक द्वारा धनराशि काट ली जाती है। बैंक ड्राफ्ट "निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तर प्रदेश सैनिक झण्डा दिवस निधि" के नाम भेजा जाय।

4. प्रतीक झण्डा स्टिकर्स एवं मोटर गाड़ियों के झण्डा स्टीकर्स का वितरण निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तर प्रदेश के माध्यम से जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों को किया जायेगा। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय या उनकी अनुपस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट विभिन्न संगठनों द्वारा माँगे गये प्रतीक झण्डा स्टिकर्स एवं मोटर गाड़ियों के झण्डा स्टीकर्स का वितरण करेंगे।

5. गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी धन एकत्र करने का अभियान ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करके संचालित किया जाय तथा इस दिशा में ग्राम पंचायतें, सहकारी समितियाँ व विभिन्न सरकारी विभागों के फील्ड स्टाफ भी काफी सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

6. शासन आपसे अपेक्षा करता है कि इस कार्य में आप तथा आपके अधीनस्थ अधिकारीगण पूर्ण सहयोग प्रदान कर अधिकाधिक धनराशि संग्रह करने में कोई प्रयत्न शेष नहीं रखेंगे। इस सम्बन्ध में संलग्न परिशिष्ट 'क' में आपके उपयोगार्थ कुछ सुझावों का उल्लेख किया जा रहा है:

7. महानिदेशक पुनर्वास, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन केन्द्रीय प्रवन्ध समिति झण्डा दिवस निधि द्वारा वर्ष 1983 से राज्यों के झण्डा दिवस निधि में प्रति व्यक्ति धन संग्रह करने वाले शीर्षस्थ राज्यों को रोलिंग ट्राफी प्रदान किये जाने की नीति बनाई गई है। अपना प्रदेश विशाल होते हुये भी इस ट्राफी को एक बार भी नहीं प्राप्त कर सका है। अतएव वर्तमान वर्ष 2024 में हम सभी एकजुट होकर झण्डा दिवस निधि में अधिक से अधिक धन एकत्र करने का प्रयास करें, जिससे यह ट्राफी उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो सके।

भवदीय,

Signed by
Hari Om
Date: 24-09-2024 11:39:57
(डॉ0 हरिओम)
प्रमुख सचिव

पत्र सं0- 867 /48-2024-22-5(29)/75, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. जनरल आफीसर कमाण्डिंग -इन-चीफ, मुख्यालय मध्य कमान, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, आल इण्डिया रेडियो/दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ।
8. जनरल आफीसर कमाण्डिंग-इन-चीफ, उत्तर भारत एरिया, बरेली।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Afaq Ahmad
Date: 24-09-2024 13:44:35

(आफाक अहमद)
अनु सचिव

परिशिष्ट 'क'

झण्डा दिवस पर धन संग्रह करने के व्यवस्था के सम्बन्ध में पथ-प्रदर्शन के लिए सुझाव

नीचे दिये गयें सभी सुझावों का उद्देश्य झण्डा दिवस 2024 पर अधिक से अधिक धन संग्रह करना है और समस्त योजना इस विशिष्ट उद्देश्य को दृष्टिगत रखकर बनाई जानी चाहिए।

2. वर्ष के एक दिन (7 दिसम्बर) को सशस्त्र सेना का झण्डा दिवस नाम दिया गया है, परन्तु व्यवस्था की दृष्टि से यह सम्भव नहीं है कि सभी चन्दा प्रभावकारी ढंग से केवल उसी दिन इकठ्ठा करने का प्रबन्ध किया जा सके। अतएव यह आवश्यक है कि राज्य में तथा जिलों में उच्च स्तर पर काफी पहले से ही इसके लिए निम्न उपाय किये जाय :-

(क) धन संग्रह करने के काम को विकेन्द्रित करने के लिए उपाय किये जाने चाहिए।

(ख) उक्त दिन तथा उसके बाद दिनाँक 30.11.2024 तक की अवधि तक धन संग्रह करने के लिए गहन प्रयास किये जायें।

(ग) अधिक संख्या में कार्मिकों को नियुक्त करने वाले अधिकारियों अथवा उन स्थानों का जहाँ प्रतिदिन अधिक संख्या में लोग आते हों उनका सक्रिय सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय किया जाय।

~~(घ) झण्डा दिवस निधि के लिए गठित राज्य जिला समितियों के प्रतीक झण्डा स्टिकर्स एवं मोटर~~ गाड़ियों के झण्डा स्टीकर्स की आवश्यकता को सावधानीपूर्वक छानबीन कर यह सुनिश्चित किया जाय कि वह उनकी जनसंख्या के अनुरूप है।

(च) धन संग्रह बढ़ाने का एक निश्चित ढंग अधिक से अधिक संख्या में झण्डों को बेचना है। इस उद्देश्य के लिए शहरी तथा देहाती क्षेत्रों में प्रत्येक सम्भावी दानकर्ता से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

(छ) बड़े औद्योगिक प्रबन्ध कर्ताओं तथा अन्य संस्थानों से विशेष रूप से यह अनुरोध किया जाना चाहिए कि वे अपनी संस्थाओं की निजी एजेंसियों द्वारा धन संग्रह की व्यवस्था करें और इस प्रकार चन्दे के रूप में प्राप्त धनराशि झंडा दिवस निधि के लिए सम्बद्ध जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय को भेजें।

(ज) प्रसिद्ध व्यवसायिक संस्थानों और व्यापार गृहों से उदारतापूर्वक दान देने के लिए अनुरोध किया जाये।

(झ) धन संग्रह की व्यवस्था रेलवे स्टेशनों, डाकघरों, क्रय विक्रय के स्थानों, सिनेमा गृहों, बस अड्डों तथा उन स्थानों पर भी की जानी चाहिए जहाँ लोग अधिक संख्या में एकत्रित होते हैं।

(ट) चूँकि प्रदेश की अधिकाँश जनसंख्या गांवों में रहती है इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय राजस्व तथा सामुदायिक विकास विभाग के कर्मचारी वर्ग के माध्यम से धन संग्रह करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। प्रचार निदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य / जिला प्राधिकारियों को भेजे गये पोस्टर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक संख्या में लगाये जाने चाहिए जहाँ लोग समाचार पत्रों को नहीं पढ़ते हैं। शहरी क्षेत्रों में प्रचार समाचार पत्रों एवं अन्य प्रचार माध्यमों

द्वारा किया जाना चाहिए। ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार के लिये निजी दूरदर्शन चैनलों का भी यथासम्भव सहयोग लिया जा सकता है।

(ठ) जहाँ कहीं फ्लाइंग क्लब स्थित हों वहाँ उन्हें झण्डा दिवस निधि के सहायतार्थ हवाई जहाज का सर्कस करने का अनुरोध करना चाहिए।

(ड) घुड़दौड़ क्लबों, खेलकूद संगठनों इत्यादि से निधि के सहायतार्थ विशेष कार्यक्रम करने का अनुरोध किया जाय।

(ढ) होटलों, जलपान गृहों इत्यादि के प्रबन्धकों को निधि के सहायतार्थ अथवा आँशिक रूप से सहायता देने के लिए विशेष द्वारा मनोरंजन करने के अनुदेश दिये जायें।

(त) वर्ष के दौरान झण्डा दिवस के सहायतार्थ चन्दा इकठ्ठा करने के लिए चैरिटी शो तथा दूसरे प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए।

(थ) झण्डा दिवस मनाये जाने के एक सप्ताह पहले इसके प्रारम्भ होने का प्रचार करने के लिए चलचित्र प्रदर्शित किये जाये।

(द) जहाँ सशस्त्र सेनाओं के महत्वपूर्ण अधिष्ठान स्थित हों, वहाँ उनसे सम्पर्क किया जाय तथा नेशनल कैडेट कोर की सेवाओं का भी उपयोग किया जाय। स्थानीय सैनिक कमाण्डरों के सक्रिय सहयोग से धन संग्रह की व्यवस्था की जाय धन संग्रह अभियान को सफल बनाने के लिए भारत सरकार के स्तर से उपयुक्त अनुदेश दे दिए गए हैं।

(ध) धन संग्रह में गड़बड़ी तथा अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा झण्डे के वितरण को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किये जाने चाहिए। अप्रयुक्त प्रतीक झण्डा स्टिकर्स एवं मोटर गाड़ियों के झण्डा स्टीकर्स को अगले वर्ष के प्रयोग हेतु रखा जायेगा।